

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 714/2024

यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम तल, प्लॉट संख्या सी-56 ए /13, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201309 (ब्रेज़ा कार संख्या आरजे-19-सीजे-4632 की बीमा कंपनी)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. पुष्पा कंवर, पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी – इंदर सिंह की ढाणी, खिरजा आशा, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
2. श्री गजेन्द्र सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह, आयु लगभग 16 वर्ष, अवयस्क, जो अपनी प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती पुष्पा कंवर के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है, जाति राजपूत, निवासी – इंदर सिंह की ढाणी, खिरजा आशा, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
3. श्रीमती नीतू कंवर, पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह, आयु लगभग 14 वर्ष, अवयस्क, जो अपनी प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती पुष्पा कंवर के माध्यम से प्रतिनिधित्व करती है, जाति राजपूत, निवासी – इंदर सिंह की ढाणी, खिरजा आशा, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
4. श्रीमती अंतर कंवर, पत्नी स्वर्गीय श्री देवी सिंह, आयु लगभग 74 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी – इंदर सिंह की ढाणी, खिरजा आशा, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
5. श्री जितेन्द्र सोनी, पुत्र श्री ओमप्रकाश सोनी, जाति सोनी, निवासी – ग्राम टेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर – 342008 (ब्रेज़ा कार संख्या आरजे-19-सीजे-4632 के पंजीकृत स्वामी) ।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री विशाल सिंघल और
सुश्री अनामिका बाघमार
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ललित परिहार

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रेखा बोराणा

आदेशप्रकाशनीय**07/10/2024**

1. प्रस्तुत अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बीकानेर द्वारा दावा संख्या 219/2022 (सीआईएस) में दिनांक 22.11.2023 को पारित निर्णायक आदेश एवं पुरस्कार के विरुद्ध दायर की गई है। संख्या 219/2022) जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 163-ए के तहत प्रस्तुत दावा याचिका को स्वीकार किया गया और दावेदारों के पक्ष में 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 5,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई।
2. इस स्तर पर, यह नोट करना प्रासंगिक है कि यद्यपि दावा याचिका दावेदारों द्वारा अधिनियम की धारा 163-ए (जैसा कि तब अस्तित्व में था) के अनुसार प्रस्तुत की गई थी, लेकिन विद्वान न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 164 के संशोधित प्रावधान के अनुसार इस आधार पर निर्णय लिया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (जिसे आगे '2019 का अधिनियम' कहा जाएगा) 01.09.2019 से प्रभावी हो गया है और इसलिए, वर्तमान अपील संशोधित प्रावधान द्वारा शासित होगी।
3. बेशक, विचाराधीन वाहन मृतक प्रेम सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे पुलिस जांच में लापरवाह पाया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के कारण, एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।

4. अपीलकर्ता बीमा कंपनी के विद्वान वकील श्री विशाल सिंघल ने निम्नलिखित आधार उठाए:

(i) वर्तमान दावा याचिका पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निर्णय नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उक्त प्रावधान को संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया था जो 1 अप्रैल 2022 से ही प्रभावी हुआ। जून, 2021 की दुर्घटना से संबंधित वर्तमान दावा याचिका उक्त प्रावधान द्वारा शासित नहीं हो सकती थी।

(ii) जहां तक अधिनियम की धारा 163-ए का संबंध है, यह एक 'पीड़ित' की पूर्वधारणा करती है जबकि वर्तमान मामले में मृतक स्वयं अपकारक था और उसे 'पीड़ित' नहीं कहा जा सकता था। इसके अलावा, मृतक तीसरा पक्ष नहीं था। दुर्घटना में शामिल वाहन और इसलिए, दावेदार अधिनियम की धारा 163-ए के अनुसार दावा नहीं कर सकते थे।

(iii) मृतक, वर्तमान मामले में, मालिक के स्थान पर आया था और इसलिए, दावेदारों द्वारा वाहन के मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता था।

5. अपने प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(i) चंद्रकांता तिवारी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; **2020 (7) एससीसी 386**

(ii) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रजनी देवी; **2008(3) आरएलडब्ल्यू (राज.) 2285**

(iii) नारायण राव बनाम नागराज; **2019(6)** करएलजे **358**

(iv) संगीता बनाम कृष्णा चारी; **2020** एसीजे **61**

(v) अय्यप्पन पिल्लई बनाम थॉमस एम.; **2020(3)** केएचसी **313**

(vi) प्रथम अपील संख्या **771/2009**; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्री वासुदेव मुकाजी संभलकर एवं अन्य (8.02.2023 को निर्णीत) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा

(vii) डिवीजनल मैनेजर, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ए.सी.जगदीसन एवं अन्य; **2023** एसीजे **122**

(viii) प्रथम अपील संख्या **78/2012**; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कौशल्याबाई एवं अन्य (21.02.2024 को निर्णीत) बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा

6. ————— प्रतिपक्ष, प्रतिवादी दावेदारों के विद्वान वकील ने शिवाजी एवं अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एवं अन्य; **(2019) 12 एससीसी 395** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 163-ए के तहत कार्यवाही करते हुए, बीमाकर्ता मुआवजे के लिए दावे का मुकाबला करने के लिए पीड़ित की ओर से लापरवाही का कोई बचाव नहीं कर सकता है।

जहां तक अधिनियम की धारा 164 के तहत विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दावा याचिका के निर्णय का संबंध है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इससे अन्यथा भी

कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रावधानों का उद्देश्य समान है और यहां तक कि मृत्यु के मामले में दोनों प्रावधानों के अनुसार देय मुआवजा भी समान है।

7. ————— वकीलों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

8. ————— जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या बीमाकर्ता को पीड़ित की ओर से लापरवाही का कोई बचाव करने की अनुमति दी जा सकती है, यह अब एकीकृत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील कुमार और अन्य के मामले में इसी मुद्दे पर संदर्भ तय करते हुए; **(2019) 12 एससीसी 398** में कहा गया कि अधिनियम की धारा 163-ए के तहत कार्यवाही में बीमाकर्ता के लिए पीड़ित की ओर से लापरवाही का कोई बचाव करना खुला नहीं है।

कानून की उपरोक्त स्थिति को दोहराते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवाजी के मामले (सुप्रा) में निम्नानुसार माना:

“4. हमारे सामने जो मुद्दा उठता है वह अब एकीकृत नहीं है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील कुमार और अन्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के हालिया फैसले द्वारा कवर किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि बीमाकर्ता द्वारा दावेदार की लापरवाही का बचाव करने की अनुमति देना और/या अधिनियम की धारा 163-ए को ऐसी स्थिति के रूप में समझना, इस प्रावधान की शुरुआत के पीछे विधायी उद्देश्य के साथ असंगत होगा, जो कि “स्थितियों पर काबू पाने के लिए संरचित सूत्र के आधार पर सीमित समय सीमा के भीतर अंतिम मुआवजा है। जहां दोष दायित्व के आधार पर मुआवजे के दावों में अनावश्यक रूप से लंबा समय लग रहा था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि बीमाकर्ता को अधिनियम की धारा 163-ए के तहत लापरवाही का बचाव करने की अनुमति दी जाती है, तो वह अधिनियम की धारा 163-ए के तहत कार्यवाही करेगा,

जो अधिनियम की धारा 166 के तहत कार्यवाही के बराबर होगी, जो न केवल स्वयं विरोधाभासी होगी, बल्कि विधायी मंशा को भी विफल करेगी। परिणामस्वरूप, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 163-ए के तहत कार्यवाही में, बीमाकर्ता मुआवजे के दावे का मुकाबला करने के लिए पीड़ित की ओर से लापरवाही का कोई बचाव नहीं कर सकता है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात के मद्देनजर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसले उसके लिए कोई मदद नहीं करेंगे और इस न्यायालय को इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

10. जहां तक अधिनियम की धारा 164 के संशोधित प्रावधान की प्रयोज्यता का सवाल है, यह सच है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह 01.09.2019 से प्रभावी हुआ है, जबकि सही स्थिति यह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एस.ओ. 859(ई) दिनांक 25.02.2022 के तहत, 2019 के अधिनियम की धारा 51 को प्रभावी किया गया था। 2019 के अधिनियम की धारा 51 के तहत, अधिनियम के मौजूदा अध्याय XI को एक नए अध्याय XI के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। इसका अर्थ यह है कि मौजूदा धारा 145 से 164 (अध्याय XI) को धारा 145 से 164 डी वाले पूर्ण नए अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि मामला अधिनियम की धारा 164 द्वारा शासित होगा, को इसके द्वारा अलग रखा जाता है।

11. लेकिन फिर, वर्तमान दावा याचिका का निर्णय, अधिनियम की धारा 164 के अनुसार, अन्यथा भी, जहां तक मुआवजा राशि/दावा का संबंध है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

12. अधिनियम की धारा 163 ए (जैसा कि तब अस्तित्व में थी) इस प्रकार है:-

“163 ए संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान।

(1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के तहत मुआवजे के लिए किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता जिसके संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।”

13. एस.ओ.2022 (ई) दिनांक 22.05.2018 द्वारा संशोधित अधिनियम की दूसरी अनुसूची इस प्रकार है:

“दूसरी अनुसूची

(धारा 163 ए देखें)

तृतीय पक्ष की घातक दुर्घटनाओं/ चोट के मामलों के दावों के लिए
मुआवजे की अनुसूची

1. (ए) घातक दुर्घटनाएँ:

मृत्यु के मामले में देय मुआवजा पाँच लाख रुपये होगा।

(बी) स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ:

देय मुआवजा = [कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की अनुसूची के अनुसार 5,00,000 रुपये x विकलांगता का प्रतिशत] होगा:

बशर्ते कि किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता के मामले में न्यूनतम मुआवजा पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(सी) दुर्घटनाएँ जिसके परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता होती है मामूली चोट:

पच्चीस हजार रुपए का निश्चित मुआवजा देय होगा:

2.1 जनवरी, 2019 की तिथि से पैराग्राफ (1) के खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट मुआवजे की राशि में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।”

14. अधिनियम की धारा 164 का मौजूदा प्रावधान इस प्रकार है:-

“**धारा 164** - मृत्यु या गंभीर चोट आदि के मामले में मुआवजे का भुगतान - (1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून या कानूनी बल वाले साधन में निहित किसी भी बात के बावजूद, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, मृत्यु की स्थिति में पांच लाख रुपये या गंभीर चोट की स्थिति में ढाई लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के किसी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

15. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 163 ए और प्रतिस्थापित धारा 164 दोनों द्वारा शासित मामलों में मृत्यु के मामले में प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख रुपये है। वर्तमान मामले में दिया गया मुआवजा ब्याज सहित 5 लाख रुपये है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान दावा याचिका, भले ही अधिनियम की तत्कालीन धारा 163 ए के अनुसार तय की गई होती, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा वही रहता।

16. उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, यह न्यायालय इस राय पर है कि अधिनियम की धारा 163 ए के अनुसार मामले को नए सिरे से गणना के लिए विद्वान न्यायाधिकरण को वापस भेजना एक निरर्थक कार्य होगा।

अतः यह निर्देश/घोषणा की जाती है कि दिनांक 22.11.2023 के विवादित निर्णय को अधिनियम की तत्कालीन धारा 163 ए के अनुसार पढ़ा/समझा जाए।

17. अतः दिनांक 22.11.2023 के निर्णय को उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित किया जाता है। दिए गए मुआवजे की राशि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है तथा इसकी पुष्टि की जाती है। वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है।

18. अपीलकर्ता बीमा कंपनी का दायित्व होगा कि यदि अभी तक जमा नहीं किया गया है तो वह तुरंत प्रभाव से निर्णय के अनुसार मुआवजे की राशि जमा कराए। जमा की गई राशि को दावेदारों को निर्णय के अनुसार शीघ्रता से वितरित किया जाए।

19. स्थगन याचिका तथा लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(रेखा बोराना),जे

378/एसफोफलिया/विज/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी